भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1944
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

राजकोट विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं

1944. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या मंत्रालय का राजकोट विमानपत्तन से अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या मंत्रालय ने राजकोट विमानपत्तन पर पर्याप्त आवर्जन सुविधाओं और श्रमबल की अधिसूचना तथा तैनाती के लिए गृह मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) क्या मंत्रालय ने राजकोट विमानपत्तन पर पर्याप्त सीमा शुल्क सुविधाओं और श्रमबल की अधिसूचना तथा तैनाती के लिए वित्त मंत्रालय के साथ भी इस मामले को उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन भारत और संबंधित देशों के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (एएसए) द्वारा शासित होते हैं। संबंधित एएसए के अनुसार, भारतीय नामित वाहक आपसी सहमति से निर्धारित क्षमता सीमाओं के अनुसार राजकोट सहित भारत में किसी भी बिंदु तक/से किसी भी विदेशी गंतव्य के लिए परिचालन करने हेतु स्वतंत्र हैं। तथापि, भारत में किसी भी बिंदु से सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत करना यात्री माँग, स्लॉट की उपलब्धता, मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर अनुसूचित एयरलाइनों का विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक निर्णय होता है। सरकार एयरलाइनों की परिचालन योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय ने दिनांक 07.02.2025 की अधिसूचना के माध्यम से राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को सीमाशुल्क अधिसूचित हवाईअड्डे के रूप में घोषित किया है। नए टर्मिनल भवन में पर्याप्त सीमाशुल्क सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को इमिग्रेशन चेक पोस्ट (आईसीपी) के रूप में अधिसूचित करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) से अनुरोध किया गया है।
